

**कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश**  
**सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004**

क्रमांक ५३१ / 98 / आउशि / शाखा-5'अ' / 2014,  
प्रति,

भोपाल: दिनांक ०३ जुलाई 2014


प्राचार्य,  
समस्त छूट प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालय,  
मध्यप्रदेश।

विषय: प्रवेशित विद्यार्थियों की रिपोर्टिंग।

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रवेश प्रक्रिया 2014-15 के अंतर्गत आपके महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की ऑन लाइन रिपोर्टिंग की व्यवस्था ई-प्रवेश पोर्टल पर दिनांक 02 जुलाई 2014 से उपलब्ध कराई गई है।

नियमानुसार अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्रवेशित आवेदक-विद्यार्थियों की रिपोर्टिंग [www.eprvesh.nic.in](http://www.eprvesh.nic.in) पर महाविद्यालय के **user-id** एवं **Password** से **login** कर **Student Management** मॉड्यूल में **Register Admit Student** का विकल्प चयन कर प्रवेश रिपोर्टिंग समय-सीमा में सुनिश्चित करें। आवेदक की जानकारी सही-सही दर्ज एवं चेक करने की जवाबदारी संबंधित अल्पसंख्यक महाविद्यालय की होगी।




(डॉ. के.एम. जैन)

संयुक्त संचालक  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक ५३२ / 98 / आउशि / शाखा-5'अ' / 2014,  
प्रतिलिपि :

भोपाल: दिनांक ०३ जुलाई 2014

समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश की ओर उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु।



संयुक्त संचालक  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश